दिनांक 25.01.2018 को माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त वाणिज्य–कर मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित ज्ञापन

उद्योग से सम्बन्धित मुद्दे

1. बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने के सम्बन्ध मे

बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने की आवश्यकता है जिससे समय पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो सके । 2017-18 के बजट में उद्योग विभाग हेतु 843.26 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था जिसमें योजना मद में 771.87 तथा गैर योजना मद में 71.39 करोड़ की राशि आवंटित थी परन्तु फंड के अभाव में समुचित औद्योगिक विकास की कई परियोजनाएँ पूरी नही हो पायी हैं। इसलिए निवेदन करना है कि इस राशि को 2018-19 के बजट में कम से कम दुगना किया जाय ।

2. वैट प्रतिपूर्ति के लंबित मामले का निपटारा हेतु पर्याप्त धन राशि का आवंटन

वैट प्रतिपूर्ति के मद में 2018-19 के बजट में कम से कम 1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जाना चाहिए जिससे कि जिनका वैट प्रतिपूर्ति लंबित है उनको भुगतान किया जा सके ।

3. बैंकों का नकारात्मक रवैया:–

राज्य में राष्ट्रीयकृत अथवा निजी व्यापारिक बैक ऋण देने में काफी अनुदार (Conservative) भावना रखते हैं और इस विचार से ही काम करते हैं कि बिहार में दिया गया ऋण वापस नही होगा। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने के केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहे हैं, उन्हे राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नही है ।

फलस्वरूप, राज्य में CD Ratio राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और राज्य में जमा धनराशि का प्रयोग इन बैकों द्वारा अन्य राज्यों में ऋण देने में किया जा रहा है । सरकार को रिजर्व बैक के माध्यम से इन बैकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए ।

4. सूचना प्रावैधिकी (IT):–

राज्य में सूचना प्रावैधिकी को प्रोत्साहन हेतु सरकार ने राजगीर में आई.टी. पार्क, बिहटा में आई.टी. वीलेज एवं पटना में आई.टी. टावर बनाने का नीतिगत निर्णय लिया है । इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित कराया जाए जिससे कि राज्य में आई. टी. उद्योग का विकास हो ।

क्रमश:.....2

100 करोड़ से अधिक के निविदा में किसी भी राज्य के बाहर अवस्थित कंपनियॉ/संस्था को दिए जानेवाले आवंटन के साथ यह शर्त्त रखी जाए कि वो अपने संस्थान का एक सहयोगी शाखा बिहार में रखें जिससे कि राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजागर मिल सके ।

राज्य सरकार द्वारा दिए जानेवाले हर निविदा का 30% हिस्सा बिहार में अवस्थित स्थनीय आई. टी. से जुड़े संस्थाओं को दिया जाए जिससे कि आई. टी. के स्थानीय उद्यम का विकास हो और रोजगार का अवसर बढ़े ।

आज इन्टरनेट की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है शहर हो या गॉव अथवा शैक्षणिक संस्थाएं हर जगह यह नितान्त आवश्यक हो गई है परन्तु हर जगह इन्टरनेट सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है । इस संबंध में राज्य सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड अथवा अन्य निजी संचार ऑपरेटर से सम्पर्क करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहॉ भी इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की गयी है वह निर्बाध रूप से लोगों को उपलब्ध हो ताकि अधिकाधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें ।

5. <u>चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन</u>

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है । इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए ।

6. <u>जॉब वर्क ईकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ दिये जाने के संबंध में</u>

राज्य सरकार द्वारा राज्य में उद्योग के विकास हेतु निवेश की बात की जाती है। परन्तु राज्य के बाहर स्थित वैसी औद्योगिक ईकाईयाँ जिनके ब्राण्ड का बिहार एक बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल है, वह यहाँ अपनी ईकाई न लगाकर यहाँ के औद्योगिक ईकाई से अपने माल का उत्पादन ''जौब वर्क'' के आधार पर करवाती है जिससे राज्य में राजस्व की प्राप्ति होती है परन्तु उन बाहर की ईकाईयों को यहाँ के वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए पॉलिसी बनाया जाना चाहिए जिससे कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ राज्य में स्थित औद्योगिक ईकाई जो ''जॉब वर्क'' के आधार पर बाहर की ईकाईयों के लिए माल का उत्पादन करती है, को मिले ।

7. <u>उद्योग के उपयोग हेतु भूमि की समुचित उपलब्धता का अनुरोध</u>

बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाईयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू–भाग की आवश्यकता है, इसके साथ ही अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे बड़े भू–भाग की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

– भूमि बैकों की स्थापना द्वारा ।

– बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।

– ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं स्टेट्स (Estate) की स्थापना द्वारा ।

क्रमश:.....3

– औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह–जगह पर भूमि का चयन कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें ।

– नई औद्योगिक इकाईयॉ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर–मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है ।

यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।

– अमृतसर – दिल्ली – कोलकत्ता Industrial Corridor विकसित होने जा रहा है। सरकार द्वारा बिहार में जहाँ–जहाँ से यह Corridor गुजरेगा, उसके दोनों तरफ अभी से हीं बड़े–बड़े भूमि के टुकड़ो (1000 – 2000 एकड़) को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए । इस Industrial Corridor को Eastern Dedicated Freight Corridor से बहुत मदद मिलेगी और इससे बिहार में औद्योगिकरण में तेजी आयेगी एवं नये रोजगार का सृजन होगा।

8. **<u>आधुनिक प्रयोगशाला</u>**

राज्य में आधुनिक प्रयोगशाला एक भी नहीं है फलस्वरूप आवश्यकता होने पर राज्य के बाहर प्रयोगशाला में खाद्य–सामग्री जॉच हेतु भेजना पड़ता है । अत: चैम्बर का सुझाव है कि राज्य में एक फूड प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाली आधुनिक प्रयोगशाला जो NABL/FSSAI द्वारा स्वीकृत हो का निर्माण कराया जाए जहॉ प्रोसेसर द्वारा उचित कीमत पर अपने उत्पाद के सभी सूक्ष्म तत्वों की जॉच कराया जा सके । इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग यथा कागज उद्योग, दवा उद्योग आदि के लिए भी आधुनिक प्रयोगशालाओं की नितांत आवश्यकता है।

9. **<u>रूग्न इकाईयों का पुनर्वास :</u>**

सरकार ने औद्योगिक रूग्नता को औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अंग मानते हुए रूग्न इकाईयों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक नीति में प्रावधान किया है । औद्योगिक नीति में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि रूग्नता की पहचान एक समय सीमा के अन्दर कर निर्धारित अवधि में पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा ।

रूग्नता की पहचान की समय सीमा क्या होगी, पुनर्वास पैकेज निर्धारण की अवधि क्या होगी तथा पुनर्वास पैकेज की न्यूनतम या अधिकतम दिये जानेवाली प्रोत्साहन सुविधा क्या होगी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है ।

अत: आवश्यक है कि उपरोक्त बिन्दु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ।

9.1 पुर्नवासित रूग्न ईकाईयों को भी औद्योगिक नीति के अन्तगर्त मिल रहे सभी प्रकार के प्रोत्साहनों का पात्र बनाया जाना चाहिए।

क्रमश:.....4

9.2 रूग्न ईकाईयों के पुर्नवास की प्रक्रिया में यदि मैनेजमेन्ट बदल भी जाती है तो ऐसी स्थिति में बियाडा द्वारा निर्धारित जमीन के अद्यतन दर पर लगने वाले Transfer fee को समाप्त किया जाना चाहिए।

10. वैसे सभी उद्योग जो सूक्ष्म उद्योग (Micro Industry) की श्रेणी में आते हैं तथा वैसे सभी उद्योग जो Pollution Free Industry की श्रेणी में आते हैं उनको Consent लेने की बाध्यता से मुक्त किया जाना चाहिए

11. **<u>औद्योगिक भूखंड के MVR के संबंध में</u>**

औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से MVR निर्धारित किए जाने की आवश्यकता:– विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का revision करते हुए भूखंड के कीमतों में कई गुणा वृद्धि की है। औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर भी निर्धारित नहीं है। इस बढ़ोतरी का प्रतिकूल असर राज्य में औद्योगिक निवेश पर पड़ेगा। जिस प्रकार भूखंड के कीमतों में वृद्धि हुई है उससे किसी औद्योगिक प्रोजेक्ट की economic viability नहीं होगी। कोई भी बैंक ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को ऋण मुहैया नहीं करायेगा।

उक्त परिपेक्ष में हमारी सरकार से मांग है कि औद्योगिक भूखंड के लिए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के बराबर हो।

सरकार एक बार पुन: विभिन्न प्रकार के भूखंडों का MVR में बढ़ोत्तरी करने जा रही है। बढ़ोत्तरी का जो मसौदा तैयार किया गया है उसका भारी प्रतिकुल असर विभिन्न वर्गों पर पड़ेगा। प्रस्तावित मसौदा में विभिन्न जगहों के MVR का प्रस्तावित मूल्यांकन है, वह वास्तविकता से परे है। उक्त परिपेक्ष में हमारा निवेदन है कि प्रस्तावित MVR में संशोधन पर सरकार एक बार फिर से विचार करे तथा MVR में किसी तरह की कोई बढ़ोत्तरी न किया जाय, ऐसी हमारी मांग है।

12. **<u>राज्य के सभी जिलों में उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में</u>**

बिहार राज्य के पूर्ण एवं संतुलित विकास के लिये 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग का विकास ही एक मात्र एवं अहम मुद्दा राज्य सरकार के लिये होगा । जबतक राज्य के सभी जिलों में उद्योग के विकास की योजना नहीं बनेगी तबतक निवेशकों को आकर्षित करना कठिन होगा । हम सभी जानते हैं कि राज्य में उद्योग कुछ ही जिलों में सीमित है ।

हमारा सुझाव है कि इस बजट द्वारा वर्त्तमान परिदृश्य को बदलने के लिये शुरूआत की जानी चाहिये। राज्य के वैसे सभी जिलों में जहॉ भूमि की उपलब्धता हो MSME (Micro,Small & Medium Enterprises) का विकास किया जाय । प्राथमिकता उन जिलों को दी जानी चाहिये जहॉ पहले से उद्योग नहीं हैं । यह राज्य के विकास के लिये एक बड़ा कदम होगा । स्मरणीय है कि चैम्बर ने भी भारत सरकार के वित मंत्री को एक ज्ञापन भेजकर इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध किया है कि राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को पूर्व की भांति आयकर अधिनियम की धारा 80 1B (5) के अन्तर्गत 5 पॉच वर्षों एवं 3 तीन वर्षों के लिये आयकर में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की कृपा करें।

क्रमश:.....5

13. बिहार के सभी जिलों में शहर से चार–पॉच किलोमिटर के अन्दर एक Special Hub Develop किया जाना चाहिए जिसमें बुनियादी सुविधाएं यथा – सड़क, नाला, रोड, बिजली, पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । जिससे कि वहॉ पर शिक्षा, कौशल विकास, सर्विस सेक्टर, होस्पिटल आदि से संबंधित यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य करना चाहे तो उसे वहॉ पर जमीन उपलब्ध कराया जा सके ।

वैट से संबंधित मुद्दे

14. **वाणिज्य–कर की नीतियों से संबंधित समस्याएँ:–**

14.1 **VAT प्रतिपूर्ति के संबंध में**

(i) 01-07-2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के उपरान्त Excise Duty एवं VAT के स्थान पर IGST/CGST एवं SGST आ गया है । परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई ठोस एवं कारगर प्रक्रिया नहीं बनायी गई है की Paid tax की प्रतिपूर्ति कैसे होगी ।

हमारा सुझाव है कि जिसे प्रकार Paid Entry Tax/VAT/CST इत्यादि की प्रतिपूर्ति होती थी उसी प्रकार Paid GST की भी प्रतिपूर्ति उद्योगों को दी जानी चाहिए ।

14.2 **(i)** विभागीय अपीलीय न्यायालयों/प्राधिकारों के समक्ष बिहार वित्त अधिनियम 1981 से सम्बन्धित लम्बित वादों को निष्पादित करने के लिए One Time Settlement (OTS) योजना पुनः लाई जाए जिससे कि दोनों पक्षों को अनावश्यक खर्चे एवं परेशानी से बचाया जा सके तथा सरकार को भी विवादित राजस्व के मद में राशि की प्राप्ति हो सके ।

(ii) अपील दायर करने के लिए माँग का 20% जमा करना होता है, जिसे समाप्त करना चाहिए।

14.3 सभी Accumulated Input Tax Credit का शीघ्र रिफंड किया जाना चाहिए।

15. केन्द्र सरकार ने देश भर में 1 जूलाई, 2017 से GST लागू कर दिया है । अतः व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए । व्यवसायियों द्वारा फाईल 2017-18 की प्रथम तिमाही को वार्षिक विवरणी मानकर कार्रवाई को संपूर्ण कर दिया जाना चाहिए ।

16. GST लागू होने के उपरान्त बहुत सारे व्यवसायियों ने अपने वैट का रिटर्न फाइल नहीं किया है अथवा देर से फाइल किया है । वैसे सभी व्यवसायियों को पिछले दो वर्षों के किसी भी तरह के बिलम्ब शुल्क के दायित्व से मुक्त किया जाए जिससे कि वे अपने रिटर्न फाइल कर वैट की कार्रवाई को संपूर्ण कर सकें ।

17. राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों को उच्च वैट संग्रहण तथा कर संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए भामा शाह सम्मान से पुरस्कृत किया जाता था । हमारा अनुरोध है कि यह व्यवस्था **GST** में भी लागू रहनी चाहिए ।

क्रमशः.....6

विद्युत से सम्बन्धित मुद्दे

18. राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य के लिए बिजली की दर अन्य राज्यों के समकक्ष होना चाहिए । घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले सब्सिडी की भरपाई उद्योग एवं व्यापार जगत से नहीं किया जाना चाहिए । राज्य में उद्योगों की कमी है और जो उद्योग हैं उनमें से ज्यादातर उद्योग MSME सेक्टर में आते हैं । वैसे उद्योगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उच्च बिजली शुल्क का भुगतान कर सके जिससे कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलनेवाली सब्सिडी की भरपाई हो सके ।

19. **समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना**

उद्योगों के विकास के लिये विद्युत की निर्वाध आपूर्ति नितान्त आवश्यक है । हमारा आपसे निवेदन है कि उद्योग हेतु बिजली की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने और कमी से निपटने हेतु DISCOM को Open Access Scheme के अन्तर्गत Power Corporation से विद्युत क्रय करने की अनुमति दी जाय ।

20. राज्य की उर्जा की मांग 4000 MW आंकी गई है । केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 2500 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1500 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 4000 MW पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

21. **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तगर्त Covered औद्योगिक ईकाईयों को MMG/AMG से छूट**

वैसी औद्योगिक ईकाईयाँ जिन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तगर्त उनके वाणिज्यिक उत्पादन से पाँच वर्षो के लिए MMG/AMG से छुट का प्रोत्साहन प्राप्त है तथा जिन्होंने अब तक पाँच साल तक देय इस छुट की अवधी पूरी नही की है उन्हें पाँच साल की समय सीमा पूरा होने तक यह छुट उनके लिए बरकरार रखी जानी चाहिए।

21.1 राज्य की सभी औद्योगिक ईकाईयों को 2016 के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में भी MMC/ MMG/ AMG से छुट मिलनी चाहिए। अन्यथा जो ईकाई पूरा उत्पादन नही कर पाती है वो इस बोझ को वहन नही कर पाती और बन्द हो जाती है। यह सुविधा 2006 एवं 2011 की प्रोत्साहन नीति के अन्तगर्त उद्योगों को प्राप्त थी।

21.2 किसी भी औद्योगिक उपभोक्ता द्वारा जितनी विद्युत Consume की जाती है उसी के अनुरूप उस उपभोक्ता पर भुगतान देय होना चाहिए।

22. औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक हब, आगामी आद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि हेतु Dedicated Power Sub-Station होना चाहिए जिससे की उद्योगों को बिजली की समस्या न हो। हम यहॉ यह भी कहना चाहेगें कि वाणिज्य एवं उद्योग को बिजली हेतु प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि वो बिजली के बिल का भुगतान ससमय करते हैं जिससे राज्य के राजस्व में इजाफा होता है।

क्रमश:.....7

औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की अनुपलब्धता के कारण औद्योगिक ईकाई को खुद से जहाँ पर भी जमीन उपलब्ध है खरीदना पड़ता है । ज्यादातर वैसी ईकाईयों को पर्याप्त बिजली की सुविधा नहीं मिल पाती है और जो मिलती भी है तो उसमें वोल्टेज की समस्या एवं बार–बार ट्रिपिंग की समस्या रहती है । अत: हम यह सुझाव देना चाहेंगे :–

क ऐसी ईकाईयों को dedicated 11KV/33KV line की सुविधा प्रदान की जाये एवं dedicated line की लागत Distribution Company द्वारा वहन किया जाये या राज्य सरकार द्वारा Dedicated line की लागत की प्रतिपूर्त्ति की जाये ।

ख नई औद्योगिक ईकाईयाँ जो औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थापित होती है, को बिजली हेतु service Line का इन्तजाम खुद करना पड़ता है जिसमें कई तरह की कठिनाई आती है जैसे लोगों को अपनी जमीन पर बिजली के तार एवं खंभे के लिए कड़ी आपत्ति होती हैं । अत: हमारा सुझाव है कि Distribution Company को ही वैसी औद्योगिक ईकाईयों को Service Line मुहैया कराने का इंतजाम करना चाहिए ।

23. Distribution Company को अपनी सारी उर्जा जो बिजली आपूर्ति करते हैं उसकी proper metering करके उसकी कीमत वसुलने में लगाना चाहिए। यहाँ सरकार के तरफ से Distribution Company को जितने भी पैसे मिलते है उसको जो BERC द्वारा Allowed T & D Loss है उससे अधिक जो T & D Loss होता है उसी को compensate करते हैं। यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि BERC द्वारा एक सीमा के लिए T & D Loss रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन Distribution Company जो ऑकड़े देती है और T & D Loss काफी अधिक है । इस स्थिति में बिजली खरीद का आधा तो ऐसे ही घाटे में चला जाता है एवं सिर्फ आधी बिजली का billing हो पाता हैं। जो Extra T & D Loss है उसकी भरपाई सरकारी या यूँ कहें की जनता के पैसों से होती हैं। इस पर सख्ती से अमल करके T & D Loss को निर्धारित मानक तक रखने की उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि सरकार से पैसे तो मिल ही रहे हैं इस स्थिति में T & D Loss का Control हीं छोड़ दें। T & D Loss को कम करने हेतु 100% metering करने की आवश्यकता है।

24. बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे स्थानों पर हैं कि उन्हें पूरी बिजली नही मिल पाती है परन्तु Distribution Company जो हर माह बिल देती है उसमें पूरे महीने का Demand Charge per month के हिसाब से जोड़ देती है चाहे औद्योगिक ईकाईयों को पूरी बिजली मिली हो या न मिली हो जिसके चलते उन्हें बिजली बहुत महँगी पड़ती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है जैसे:– (i) उत्पादन का भारी नुकसान (ii) बिजली की लागत प्रति यूनिट 20/- रूपये से भी ज्यादा (iii) डीजल जेनरेटर सेट का उपयोग करके बिजली की जरूरतों को पूरा करना जो कि बहुत महँगी पड़ती है ।

इसलिए यहाँ पर यह जरूरी है कि औद्योगिक ईकाईयों को जितनी देर बिजली मिलती है उतनी ही देर के हिसाब से Demand Charge Bill देना चाहिए । यहाँ हम यह यह भी सुझाव देना चाहेंगे कि Fix Charge का झगड़ा खत्म करने के लिए इसको Per Month basis से हटाकर Per Hour basis पर कर देना चाहिए ।

क्रमश:.....8

25. कुछ बड़े उपभोक्ता Power Exchange के तहत सीधे बिजली खरीदना चाहते हैं इसके लिए Open Access Policy का प्रावधान है । परन्तु जो Tariff का प्रणाली है उस प्रणाली में उपभोक्ता Open Acess से बिजली नही ले पाते हैं। Open Acess Policy- Tariff में आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए Demand Charge को हटाना चाहिए एवं बिजली का रेट सिर्फ Unit Charge करना चाहिए।

26. कुछ उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान सीजनल हैं जिनकी सीजन के समय उर्जा की खपत अधिक होती है एवं कुछ समय बहुत कम। सिक्योरिटी डिपोजिट की गणना साल में दो बार छः महीने की खपत के हिसाव से किया जाता है। इस तरह के उपभोक्ताओं की गणना एक बार काफी अधिक आता है दूसरी बार बहुत कम आता है। इसमें काफी परेशानी आती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए साल में दो बार छः–छः महीने पर गणना होनी चाहिए। परन्तु उसमें पिछले पूरे एक साल के विद्युत विपत्र के आधार पर सिक्योरिटी डिपाजिट की गणना की जानी चाहिए।

27. **(i)** **सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज**:– सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गये सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दी जानेवाली ब्याज की दर बैंक दर के समान हो, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर निर्दिष्ट करता है। गत् वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक दर औसतन 9% थी जब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज 6% की दर से भुगतान किया गया। अतः अनुरोध है कि पिछले वर्षो के बकाया ब्याज के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 9% दर से ब्याज के भुगतान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए।

(ii) सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए एवं Deductee को TDS Certificate निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमें सूचना मिली है कि वर्तमान में कई Cases में TDS काटे जाने के बावजुद उक्त राशि Income-Tax विभाग में जमा नही की गयी है ।

28. Domestic Consumer को Security Deposit पर ब्याज का भुगतान नहीं होता है । अतः उन्हें भी ब्याज के भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए ।

29. वर्तमान में सभी औद्योगिक ईकाईयों को 6% की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिससे उद्योगों को काफी कठिनाई हो रही है। वर्तमान दर के कारण ईकाईयों को 40 पैसे प्रति किलोवाट के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है । अतः अनुरोध है कि विद्युत शुल्क 5 पैसे प्रति किलोवाट की दर से अधिक नही रखा जाना चाहिए।

30. केन्द्रीकृत उपभोक्ता हेल्पलाईन जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है जिससे उपभोक्ताओं की सभी तरह की शिकायतों का निबटारा किया जा सके। जिसमें बिजली की आपूर्ति और बिलों में सुधार इत्यादि प्रमुख है।

31. यह सुनिश्चित किया जाए कि बिहार की बिजली वितरण कंपनियॉ कम–से–कम 15% पावर की खरीद गैर–पारम्परिक उर्जा एवं Renwable Sources से खरीद करें जिसकी बाध्यता भी है । ऐसा नहीं

क्रमशः.....9

करने पर उन वितरण कंपनियों को हर्जाना भरना पड़ता है जिसका Ultimate अप्रत्यक्ष भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है और पर्यावरण का भी नुकसान होता है । इसमें Long Term Plan बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि शुरू से ही गैर–परंपरागत श्रोतों से उर्जा की खरीद नियमित रूप से की जाए ।

32. कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि सिजनल वाले मिल एवं कोल्ड स्टोरेज का डिमांड चार्ज जितने दिन कार्यरत रहते हैं उतना ही होना चाहिए । साथ ही उसके लिए बिजली की दर भी कम होना चाहिए ।

33. **<u>आवास (Housing) एवं शहरीकरण :-</u>**

निम्न एवं निम्न मध्यवर्गीय नागरिकों की जवलन्त समस्या आवासीय व्यवस्था की मांग है । सरकार का यह दायित्व है कि ऐसी जनसंख्या के लिये Low cost Housing Scheme का विकास करें । आप अवगत हैं कि 15 लाख तक के गृह निर्माण अग्रिम पर ग्राहकों को 1 प्रतिशत की छूट अनुमान्य है बशर्ते कि Housing Cost 25 लाख रूपये से अधिक न हो । राज्य की अधिकांश जनसंख्या इसका लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि यह देखा गया है कि पटना या इसके इर्द–गिर्द दो बेड रूम वाले फ्लैट की कीमत भी 25 लाख रूपये से कहीं ज्यादा है ।

अत: चैम्बर का सुझाव है कि पटना के वैसे इलाके जहॉ आवासीय कोलनी Housing Board द्वारा या राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिये बने कोलनी का विकास PPP Mode पर Low Cost Housing Scheme के तहत करवाया जाय। स्वाभाविक है कि जहॉ आवासीय फ्लैट का निर्माण किया जायेगा, वहॉ Commercial Complex भी अपेक्षित होंगे ।

यह सर्वविदित है कि राज्य सरकार वर्त्तमान वित्तीय स्थिति में आवासीय परियोजना को अपने संसाधनों से मूर्त्त रूप में लाने में पूर्णत: सक्षम नहीं हो पायेगा । अतएव सुझाव है कि इसे PPP Mode से कार्यान्वित कराया जाय । दिल्ली जैसे शहर में DDA (Delhi Development Authorithy)/ Noida Development Authority द्वारा जो आवासीय परियोजनायें चलायी जा रही हैं, उसको माडल के रूप में अध्ययन किया जा सकता है और Multistoried आवासीय भवन का निर्माण कराया जा सकता है । आप सहमत होंगे कि केवल पटना में कंकड़बाग, गर्दनीबाग, शास्त्रीनगर जैसे इलाकों में ही इसे प्रायोगिक रूप में प्रारम्भ कर इस परियोजना की सफलता को आंका जा सकता है । तत्पश्चात् राज्य के अन्य जिलों में इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है । यह राज्य की जनता, खासकर निम्न, मध्य आय वर्ग के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना साबित हो सकती है ।

High तथा Unrealistic Circle Rate के कारण निर्माण उद्योग को अनेकों प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अत: आग्रह है कि Circle Rate को यथाशीघ्र Rationalise किया जाये।

34. New Building Bye-Laws-Amnesty Scheme :– लम्बे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने नया Building Bye-Laws का निर्धारण किया। Building Bye-Laws के आने से राज्य में रूक–सी गई भवन निर्माण उद्योग (Real Estate sector industries) को पुन: पूनर्जीवित होने का आशा जगी थी,

क्रमश:.....10

लेकिन बिल्डिंग बायलॉज के अनेक प्रवधान एक दूसरे के विरोधाभाषी हैं जिसके कारण बायलॉज के प्रावधान के अनुरूप उद्यमियों को काम करने में कठिनाई हो रही है। पुनः पटना नगर निगम द्वारा भी मकान का नक्शा पास किये जाने में अत्यधिक विलम्ब किये जाने के कारण भवन निर्माण उद्योग राज्य में बूरी तरह प्रभावित हो रहा है। अतः आवश्यकता है कि बिल्डिंग बायलॉज के खामियों को अंशधारकों के साथ बैठ कर जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाय तथा इसे पूर्णता में लागू हो यह सुनिश्चित किया जाय।

Building Bye-Laws के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि पुराने Bye-Laws के आधार पर बने बड़ी संख्या में भवनों को जिसमें छोटे–मोटे विचलन हुए हैं उनके उपर निगरानी का मामला दर्ज है जिसका निपटारा भी नही हो पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप, समाचार–पत्र के रिपोर्ट के आधार पर, 500 करोड़ से अधिक का निवेश इसमें block है। इस विषय में चैम्बर ने पूर्व में भी सरकार के समक्ष यह मांग रखा था और एक बार पुनः यहां रखना चाहता है कि विचलन के आधार पर रोक लगायी गयी निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार एक बार Amnesty Scheme लाकर ऐसा निर्माण को regularise करें।

35. लीज होल्ड भूखंड को फ्री होल्ड में परिवर्तित किए जाने की मांग :– हाल में बिहार सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आवास बोर्ड के जमीन को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारी मांग है कि भूखंड के बेहतर उपयोग के मद्देनजर PRDA, खास महल, बियाडा के जमीन जो लीज होल्ड के रूप में उपभोक्ताओं को आवंटित किए गए हैं उन्हें फ्री होल्ड किया जाए।

36. बिहार की विकास दर गत् वर्षो में काफी अधिक रही है। ऐसा अनुमानित है कि लगभग 13% की विकास दर हासिल कर लेने वाला बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था आगामी 6 वर्षो में दुगनी तथा 12 वर्षो में चौगुनी हो सकती है। ऐसे में राजधानी पटना के विस्तार की नितान्त आवश्यकता है। चूंकि पहले से हीं पटना पूर्व से पश्चिम तक काफी लम्बा नगर है तथा इसके उत्तर में गंगा नदी है अतः इसका शहरी विस्तार दक्षिण के क्षेत्र में ही किया जाना संभव प्रतीत होता है। इस आलोक में हमारा सुझाव है कि राज्य के आगामी बजट में पटना के शहरी विस्तार हेतु उत्तर–दक्षिण दिशा में पटना सिटी से दानापुर तथा जहानाबाद तक कम से कम दो 4/6 लेन सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया जाये। उक्त क्षेत्र में सड़क विकसित हो जाने के बाद ही इन क्षेत्रों में शहरी विकास संभव हो पायेगा।

अन्य मुद्दे

37. **व्यवसायियों के कल्याण हेतु "व्यवसायी कल्याण कोष/ Trader Welfare Board" के सृजन/ गठन के सम्बन्ध में** ।

व्यवसायी राज्य के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदाकदा व्यवसायी को भी आपात स्थिति में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। एक कल्याणकारी राज्य का यह

क्रमशः.....11

दायित्व है कि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु योजना बनाये । अतएव, किसी आपात स्थिति में यदि व्यापारी वर्ग को वित्तीय सहायता की जरूरत हो तो उसे राहत पहुँचाने के लिये राज्य की ओर से एक कल्याण कोष का गठन किया जाना आवश्यक है । अत: अनुरोध है कि ''व्यवसायी कल्याण कोष'' का गठन कराया जाय । यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि हाल में ही हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों की समस्याओं के निदान एवं उनके कल्याण के लिए एक Trader Welfare Board का गठन किया है। जिससे न केवल व्यापारियों का कल्याण सुनिश्चित हो पाये बल्कि राज्य की आर्थिक उन्नति को भी बढ़ावा मिले। इसी तर्ज पर बिहार में भी बोर्ड का गठन किया जा सकता है।

38. <u>गैस पाइपलाइन</u>

अभी तक बिहार में गैस पाइपलाइन उपलब्ध नहीं है। जगदीशपुर – हल्दिया गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और यह गैस पाइपलाइन बिहार के अनेक स्थानों से गुजरेगी, जिसका अधिकतम लाभ लिया जाना चाहिए। गैस पाइपलाइन का भौगोलिक वितरण असमानता भरा रहा है, जिसके फलस्वरूप पाइपलाइन के नजदीक वाले राज्य इसका अधिक लाभ उठा पाते हैं और उन स्थानों में गैस का स्थानीय बाजार विकसित हो जाता है। जब कि पूर्वी राज्यों विशेषकर बिहार गैस का लाभ गैस की अनुपलब्धता की वजह से नही उठा पा रहे हैं।

राज्य सरकार, IOC तथा GAIL के बीच MOU भी हस्ताक्षरित हुए हैं इसके अनुसार GAIL का प्रमुख गैस पाईप लाईन गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमुर जिला होकर गुजरेगा। इस गैस पाइपलाइन को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिल सके।

39. <u>हवाई अड्डा</u>

पटना एवं बिहटा के हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के सरकार का प्रस्ताव का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज स्वागत करता है । साथ ही राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने का पहल अपने स्तर से करे ।

इसी सन्दर्भ में कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जॉच में काफी बिलम्ब होती है इसमें तेजी लाने की व्यवस्था की जाए । साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिक्षालय की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए ।

भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के प्रमुख जिले यथा – मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर आदि के एयरपोर्ट को विकसित किया जाए और उन्हें उड़ान योजना से जोड़ा जाए ।

40. <u>रोड एवं पुल</u>

दीघा–पहलेजा के एप्रोच रोड को सुव्यवस्थित कर यथाशीघ्र माल परिवहन की सेवा भी पुल पर चालू किया जाए । इस संबंध में चैम्बर का अनुरोध होगा कि तत्काल कम–से–कम रात के समय में माल वाहक वाहनों को पुल पर चलने की अनुमति प्रदान किया जाए ।

गॉधी सेतु के पैरलल 4/6 जो प्रस्तावित है उसे शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

मुंगेर–खगड़िया पुल का एप्रोच रोड जो NHAI से अनुमोदित है उसके काम में तेजी लाया जाए ।

क्रमश:.....12

बिहार के विभिन्न भागों के लिए अनुमोदित फोर लेन/सिक्स लेन के कार्यों में तेजी लाया जाए । यदि इसके निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा हो तो उसे यथाशीघ्र सरकार के स्तर से दूर किया जाना चाहिए जैसे –

पटना – गया डोभी रोड

पटना – आरा मोहनिया रोड

रजौली–नवादा–बख्तियारपुर–मोकामा

बरौनी – पूर्णियॉ

गंगा के उपर सिक्स लेन

पटना – बक्सर रोड

हाजीपुर–छापरा (इसमें 10% काम दीघवारा से आमी के बीच नहीं होने के कारण परियोजना लटकी है)

पटना की यातायात व्यवस्था को को सुदृढ़ करने के लिए आर ब्लॉक से दीघा घाट पर सड़क बनाने की योजना काफी दिनों से लंबित है उस पर शीघ्र काम प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

41. कृषि विभाग द्वारा कृषि के विकास के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं को बड़े स्तर पर चलाया जाना चाहिए जिससे कि किसानों को फायदा हो और उससे संबंधित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके ।

42. समुचित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ICD/Dry Port शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए।

****